रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डब्‍लू.बी.-अ.-12112021-231041
CG-WB-E-12112021-231041

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4331] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943
No. 4331] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

आदेश

कोलकाता, 10 नवम्बर, 2021

का. आ. 4696 (अ).—खंड 5 और 6 (2) में उल्लिखित कारकों पर विचार करने के बाद और जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 6 (1) (त्त्) और खंड 5 द्वारा मुझे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मलय चंदन चक्रवर्ती, जूट आयुक्त, एतदद्वारा निर्देश देता हूँ कि आप किसी भी समय अपने खाते में और/या तीसरी पार्टियों के खाते में नीचे दी गई तालिका में निर्धारित मात्रा से अधिक कच्चा जूट नहीं रखेंगे:-

क्र .सं.	कच्चा जूट व्यापारियों/डीलरों/एजेंसियों/स्टॉकिस्टों/मिलों की श्रेणी	धारित किए जाने वाले कच्चे जूट की अधिकतम मात्रा
(क)	(ख)	(ग)
1	बेलर जिनके पास एक ही परिसर में कच्चा जूट बेलिंग प्रेस है और जिन्होंने 31.10.2021 के अंदर इस कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।	1500 क्विण्टल
2	कच्चे जूट के अन्य सभी श्रेणियों के व्यापारियों/डीलरों/एजेंसियों/स्टॉकिस्ट, जिन्होंने 31.10.2021 के अंदर इस कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।	300क्विण्टल
3	जिन्होंने इस कार्यालय आदेश दिनांक 18.06.2021 के अनुसरण में दिनांक 31.10.2021 के अंदर पंजीकरण के लिए इस कार्यालय में आवेदन नहीं किया है।	500 किलोग्राम* (5 क्विण्टल)

4	जूट मिलें / कच्चे जूट से जूट के उत्पाद बनाने वाली इकाइयां।	वर्तमान उत्पादन दर के अनुसार एवं पाइपलाइनों में कोई भी स्टॉक सहित सप्ताह की खपत 6

* पंजीकरण के लिए इस कार्यालय में आवेदन नहीं किया है ऐसे व्यापारियों/स्टॉकिस्टों द्वारा कच्चे जूट का वाणिज्यिक स्टॉकिंग और लेनदेन (एक जूट वर्ष में 500 किलोग्राम से अधिक) एस.ओ. सं. 2523(ई) एफ.एन. जूट(मार्केटिंग)/160/80-IV दिनांक 18 जून 2021 के मार्फ़त दिनांक 01.11.2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन एक अपराध के रूप में घोषित किया गया था।

2. मैं आगे निर्देश देता हूं कि आप इस आदेश की तारीख से 10 (दस) दिन के भीतर कच्चे जूट की अतिरिक्त मात्रा को बेचेंगे अगर यह धारित किये जा रहे कॉलम (बी) में उल्लिखित कच्चे जूट व्यापारियों की श्रेणी के अनुरूप कॉलम (सी) में उल्लिखित मात्रा से अधिक होती है और 25 नवंबर, 2021 के भीतर कन्साइनी को उक्त मात्रा की डिलीवरी वास्तविक रूप से करेंगे तथा उसके तुरंत बाद संख्या 033 -23376972 और 23376974 पर फैक्स द्वारा या ईमेल (jcoffice@jutecomm.gov.in) द्वारा सत्यापन के लिए समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य के साथ कच्चे जूट की अधिक मात्रा की बिक्री / डिलीवरी का उल्लेख करते हुए एक अनुपालन रिपोर्ट भेजेंगे। अगर आपके पास उपर्युक्त सीमा से ज़्यादा स्टॉक हैं, तो नए स्टॉक की खरीद तुरंत रोक दें जब तक कि स्टॉक ऊपर उल्लिखित सीमा से नीचे ना आ जाए।

3. ऐसे बेलर/व्यापारी/स्टॉकिस्ट आदि के अलग-अलग नामों पर ध्यान दिए बिना एक ही परिसर में स्टॉक किये गए कच्चे जूट को इस आदेश की व्याख्या के उद्देश्य के लिए कुल एकल स्टॉक के रूप में माना जाएगा, सिवाय इसके कि जब उक्त जूट को एक वाणिज्यिक गोदाम में स्टॉक किया जाता है और ऐसे व्यापारी/स्टॉकिस्ट अलग व्यापार लाइसेंस, अलग पैन, पटसन आयुक्त कार्यालय के साथ अलग पंजीकरण (स्थिति - आवेदन की गइ है) और गोदाम किराए के लिए अलग किराया अनुबंध / रसीद सभी एक साथ और सामूहिक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं।

4. यह आदेश उपर्युक्त तालिका में क्रम संख्या (3) में उल्लिखित भाग को छोड़कर, जो कि दिनांक 01.11.2021 से लागू हो चुका है, तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30.06.2022 तक या अगला आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।

5. मैं आगे कहता हूं कि यह आदेश दि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त किये गए कच्चे जूट के स्टॉक पर लागू नहीं होगा।

6. इसके अलावा, उपर्युक्त आदेश के खंड 9(1) के उप-खंड (बी) और (सी) के अनुसरण में, मैं अपने अधिकृत प्रतिनिधियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को परिसरों सहित गोदामों में प्रवेश करने और तलाशी लेने के लिए तथा इस आदेश के जवाब में उनके द्वारा रखे गए स्टॉक को सही ढंग से घोषित किया गया है या नहीं, यह सत्यापित करने के लिए उनके कब्ज़े के अधीन उनके स्टॉक, बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा पूर्व में जारी किए गए और फ़िलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के अनुपालन की जांच करने का एवं ऐसे कच्चे जूट को ज़ब्त करने का, जिसके बारे में उनके पास यह मानने का कारण है कि उसे इस आदेश या जारी किए गए और फ़िलहाल प्रभावी किसी भी अन्य आदेश के उल्लंघन में संग्रहित/लेनदेन किया गया है तथा जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश देता हूँ।

7. अगर आप इस आदेश के किसी भी या सभी प्रावधानों का पालन करने में असमर्थ रहते हैं, तो आप आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के साथ पठित जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के खंड 11 के तहत दण्डित किये जायेंगे, जिसमें कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

[फा. नं.- जूट(मार्केटिंग)/106/2018]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)

ORDER

Kolkata, the 10th November, 2021

S.O. 4696(E).—After giving consideration to factors enumerated in Clause 5 and 6(2) & in exercise of the powers conferred on me by Clause 6(1) (iii) & Clause 5 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016, I, Moloy Chandan Chakrabortty, Jute Commissioner, hereby direct that at no point in time you will hold more than the quantity of raw jute on your own account and / or on account of third parties mentioned in the table below:-

	Category of raw jute traders/ dealers/agencies/stockists/Mills	Maximum quantity of raw jute to be held
(a)	(b)	(c)
1	Balers who are having raw jute Baling Press in the same premises and who have applied for registration to this office within 31.10.2021.	1500 Quintals
2	All other categories of traders/dealers/agencies/stockist of raw jute who have applied for registration to this office within 31.10.2021.	300 Quintals
3	Those who have not applied to this office for registration in pursuance of this office Order dated 18-06-2021 within 31-10-2021.	500 Kilograms* (5 Quintals)
4	Jute Mills / Manufacturing units of Jute Goods from raw jute	6 weeks consumption as per current production rate including any stock in the pipelines.

* Commercial stocking and transaction of raw jute (in excess of 500 kgs in a jute year) by traders/stockists who have not applied to this office for registrations have been prohibited w.e.f. 01.11.2021 vide S.O. No 2523(E) F.No. Jute(Mktg)/160/80-IV dated 18th June 2021 and was declared as an offence under Essential Commodities Act, 1955.

2. I further direct you to sell the quantity of raw jute if it is in excess of the quantity mentioned in column (c) corresponding to the category of raw jute traders mentioned at column (b) being held by you within 10(ten) days from the date of this Order and physically deliver the same to the consignee within 25th November, 2021 and to send a compliance report indicating sale / delivery of the excess quantity of raw jute along with supporting documentary evidence for verification by fax on Numbers 033-23376972 and 23376974 or by email (jcoffice@jutecomm.gov.in) immediately thereafter. If you are holding stock excess to the above limit, purchase of fresh stock shall be stopped forthwith till stock comes below the above mentioned limit.

3. Raw jute stocked in a single premise irrespective of in different names of such balers/traders/stockists etc will be considered as total single stock for the purpose of interpretation of this Order except when such jute is stocked in a Commercial godown and such traders/stockists are able to produce separate trade licence, separate PAN, separate registration with JC office (applied for status) and also separate rent agreement/receipt for godown rent all together and collectively.

4. This order shall come into immediate effect except the part mentioned under serial number(3) in the table above which is already in force w.e.f. 1.11.2021 and shall remain valid till 30.06.2022 or till further orders whichever is earlier.

5. I further state that this Order shall not be applicable to stocks of raw jute procured by The Jute Corporation of India Ltd.

6. Further, in pursuance of sub-clause (b) and (c) of clause 9(1) of the aforesaid Order, I direct to afford necessary facilities to my authorized representatives and law enforcing agencies to enter and search the premises including the godowns and also to inspect their stocks, books and other records under their possession with a view to verifying whether or not stocks held by them have been correctly declared or not in response to this Order and also to check compliance to any other orders previously issued and still in force and to seize raw jute which he/she has reason to believe to have been stored/transacted in contravention to this order or any other orders issued and still in force & to take any legal action within provisions of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 & Essential Commodities Act, 1955.

7. If you fail to comply with any or all the provisions of this Order, you shall be punishable under clause 11 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 read with Section 7 of the Essential Commodities Act, 1955 which provides for imprisonment and fine.

[F. No. Jute (Mktg)/106/2018]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.11.12 19:05:58 +05'30'